

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 1972/पौष 28, 1893

No 31] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 1972/PAUSA 28, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January 1972

S.O. 40(E).—Whereas the Central Government has, as required by sub-section (2) of section 78C of the Indian Patents and Designs Act, 1911 (2 of 1911), reconsidered the question whether the direction issued under sub-section (1) of the said section to the Controller by the notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Deptt. of Industrial Development) No. S.O. 1631, dated the 22nd April, 1969, as published in the Gazette of India, Part II, Section 3(ii), dated the 3rd May, 1969, read with the notification of that Government in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade No. S.O. 235, dated the 20th January, 1970, as published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3(ii), dated the 20th

January, 1970, and the notification of that Government in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development) No. S.O. 364, dated the 19th January, 1971, as published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3(ii), dated the 20th January, 1971, continues to be necessary or expedient in the public interest;

And, whereas, on such reconsideration it appears to the Central Government that the said direction continues to be necessary in the public interest;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of the said section, the Central Government hereby notifies that the said direction continues to be necessary in the public interest.

[No. F.31(3)-PP&D/68.]

R. K. TALWAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 18 जनवरी, 1972

का० आ० 40(म).—यतः केन्द्रीय सरकार ने, जैसा की भारतीय पेटेंट तथा डिजाइन अधिनियम 1971 (1971 का 2) की धारा 78 ग की उपधारा (2) के अनुसार आवश्यक है, इस प्रश्न पर फिर से विचार किया कि उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन नियंत्रक के अधीन नियंत्रक को भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 1631 दिनांक 22 अप्रैल 1969 द्वारा जारी किए गये निदेश को जो भारत के राजपत्र के भाग 2 खण्ड 3 उपखण्ड (2) दिनांक 3 मई, 1969 में प्रकाशित हुआ। सरकार के औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 235, दिनांक 20 जनवरी, 1970 जो भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 2 खण्ड 3(2), दिनांक 20 जनवरी, 1970 में प्रकाशित हुई और उस सरकार के औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 364, दिनांक 19 जनवरी, 1971 जो भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3(2), दिनांक 20 जनवरी 1971 में प्रकाशित हुई के साथ पढ़ते हुए, आगे जारी रखना अनिवार्य अथवा कोचित है। और यतः इस पुनर्विचार पर केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत हुआ कि उक्त निदेश जनहित की दृष्टि से आवश्यक है।

अब, अतः, उक्त धारा की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि उक्त निदेश जनहित में आवश्यक है।

[स. एक०-31 (3)-पी० पी० एण्ड डी०/68]

आर० के० तलवार, संयुक्त सचिव।

